



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या - 1321/2026

सीमा उपाध्याय

.....प्रार्थिनी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा, प्रमुख सचिव, गृह सिविल सचिवालय, लखनऊ

.....विपक्षी (गण)

प्रार्थिनी (गण) के अधिवक्ता : वीरेंद्र कुमार शुक्ला

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शा.अ.

न्यायालय संख्या- 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. को सुना, और अभिलेख का भी अवलोकन किया।

अभियुक्ता-प्रार्थिनी, अपराध संख्या 273/2025, अंतर्गत धारा 338, 336(3) और 340(2) भा०न्या०सं०, थाना मोहनलालगंज, जिला लखनऊ मामले में ज़मानत चाहती है।

अभियोजन पक्ष के मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता ने भूखंड संख्या सी-118 को 9 लाख रुपये की कीमत पर क्रय किया था, जिसका विधिवत भुगतान कर दिया गया था। हालाँकि, पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित होने के बावजूद, उक्त भूखण्ड का कब्ज़ा शिकायतकर्ता को नहीं सौंपा गया है। इसके अलावा, यह भी आरोप है कि कब्ज़े की माँग करने पर, अभियुक्ता-प्रार्थिनी द्वारा शिकायतकर्ता को धमकी दी गई थी।

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थिनी को पूर्व में इसी मामले में, आपराधिक विविध ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 10194/2025 (सीमा उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) अंतर्गत धारा 61(2), 316(5), 318(4) और 351 भा०न्या०सं०, में दिनांक 06.11.2025 को पारित आदेश के तहत ज़मानत प्रदान की गई थी; जिसकी एक प्रति ज़मानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक-3 के रूप में



संलग्न की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि प्रार्थिनी का 11 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण ज़मानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर 11 में विधिवत दिया गया है। ये अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। ज़मानत मिलने के बाद, भा०न्या०सं० की धारा 338, 336(3) और 340(2) की बढोत्तरी की गयी है। यह भी निवेदन है कि प्रस्तुत मामले में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

आगे यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थिनी के न्याय से भागने या अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है, और यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

विद्वान अ.शा.अ. ने ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, किंतु वे उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निवेदनों पर विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस बात को कि प्रार्थिनी एक महिला है; उसे पहले इसी मामले में मूल धाराओं के तहत ज़मानत पर रिहा किया गया था; और बाद में जोड़ी गई धाराएँ 338, 336(3) और 340(2) भा०न्या०सं० भी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय हैं; प्रार्थिनी के आपराधिक इतिहास को विधिवत स्पष्ट किया गया है; आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है; प्रार्थिनी 23.07.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। इस न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थिनी को और अधिक समय तक अभिरक्षा में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा; अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि प्रार्थिनी न्याय से भाग सकती है या अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे ज़मानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।

तदनुसार, ज़मानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थिनी **सीमा उपाध्याय**, जो उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध संख्या में आरोपित हैं, को उक्त मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने



पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए:-

- I. प्रार्थिनी अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
- II. प्रार्थिनी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगी।
- III. प्रार्थिनी, विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगी।

कोई भी अन्य शर्त (शर्तें), जिसे विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे, भी लगाई जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान ज़मानत प्रार्थना पत्र तक ही सीमित हैं, और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17 मार्च, 2026

मधु जे.आर./पी.एस.

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)